अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 207 /2013–14

मो0 सनाउल्लाह बनाम हफिज मंसूर आलम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया। अवलोकन किया। आवेदक मो0 सनाउल्लाह पिता– स्व0 मो0 नसिर अंसारी ग्राम– केवटी जिबरा (रनबे) थाना– केवटी ने मौजा– केवटी जिबरा (रनबे) थाना– केवटी जिला– दरभंगा अन्तर्गत साबिक खेसरा नं0– 3323 की रकवा– 03 धुर पश्चिमवारी भाग को विपक्षी हफिज मन्सूर आलम पिता– स्व0 अजिज अंसारी ग्राम– केवटी जिबरा (रनवे) के दखल कब्जे से मुक्त कराकर उसपर अपने को दखल कब्जा दिलाने के निमित प्रस्तुत वाद दायर किया है। विपक्षी ने अपने कारण पृच्छा में कहा है कि पुराना खेसरा नसं0– 3323 इनकी खतियानी जमीन है जिसपर इनके पूर्वजों के समय से हीं शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और उसी आधार पर इनके नाम 03 डिसमिल का नया खतियान बना है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अनुशीलन से विदित होता है कि मौजा केवटी जिबरा (रनवे) में अवस्थित पुराना खेसरा नं0– 3321, 3322, 3323 की भूमि के निमित इस वाद के विपक्षी हफिज मंसुर आलम ने इस न्यायालय में वाद सं0– 386/12 आवेदक के पिता नसीर अंसारी के खिलाफ दायर किया था और उक्त वाद की सुनवाई के दौरान इस वाद के आवेदक के पिता की मृत्यु हो गई थी, तदुपरान्त उक्त वाद में आवेदक पक्षकार बने थे जिस वाद में दिनांक 17.12.12 को सीमांकन कराने का आदेश वर्त्तमान न्यायालय द्वारा दी गई थी। उक्त आदेश के आलोक में अंचल अमीन केवटी द्वारा ग्रामीणों एवं पक्षकारों के समक्ष मापी की गई तथा उसका ट्रेस मैप तैयार कर दिनांक 25.03.13 को समर्पित किया गया। अंचल अमीन के ट्रेस एवं मापी प्रतिवेदन के अनुशीलन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि जो आवेदक की है विपक्षी हाफिज मंसूर आलम के फूस के मकान में निकला है जिससे विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। बल्कि खेसरा सं0– 3323 की 14 धुर	

12/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	भूमि आवेदक की दादी बीबी फातमा के पिता इलाही वक्श की जमीन थी जिसे उन्होनें अपनी पुत्री बीबी फातमा को दिनांक 25.11.1935 को बयनामा किया और इस वाद के विपक्षी हाफिज मो0 मंसूर आलम इलाही वक्श के वंशज नहीं हैं। उपर्युक्त से ऐसा स्पष्ट होता है कि आवेदक की खेसरा नं0– 3323 की 03 धुर भूमि को विपक्षी ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है जिसे मुक्त कराकर आवेदक को कब्जा दिलाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल है। अतः विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि आवेदक की प्रश्नगत भूमि पर से अपना नाजायज कब्जा हटा कर उसपर आवेदक को कब्जा सौंप दें। अन्यथा उसपर आवेदक को स्थापित कराने की कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त क्रम में आने वाले खर्च की वसूली विपक्षी से हीं तत्क्षण की जायेगी। **लेखापित एव शुद्धित** 12/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 12/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	